<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062020-220279 CG-DL-E-30062020-220279

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 322]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 30, 2020/आषाढ़ 9, 1942 NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 30, 2020/ASHADHA 9, 1942

No. 322]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

### अधिसचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2020

### सं. 57/2020-केन्द्रीय कर

सा.का.िन. 424(अ).—सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की शिफ़ारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं∘ 76/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 31 दिसम्बर 2018, जिसे सा.का.िन. 1253 (अ), दिनांक 31 दिसम्बर 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग Ⅱ, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् –

उक्त अधिसूचना के तीसरे परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुकों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"परंतु यह भी कि उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जो कि उक्त परंतुक में निर्दिष्ट तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट किए गए हैं, जो उक्त तालिका के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट कर अविध के लिए उक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लिखित शर्त के अधीन विवरणी प्रस्तुत नहीं करते हैं, लेकिन उक्त विवरणी को सितंबर, 2020 के 30वें दिन तक प्रस्तुत करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के अधीन देय विलंभ फीस को दो सौ पचास रुपये से अधिक अधित्यक्त किया जाता है, और उन करदाताओं के लिए देय विलंभ फीस को पूरी तरह से अधित्यक्त किया जाता है जहाँ कुल देय केन्द्रीय कर कि राशि शून्य है:

परंतु यह भी कि उन करदाताओं के लिए जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक है, जो कि नियत तारीख तक मई, 2020 से जुलाई, 2020 माह के लिए प्ररूप जीएसटीआर–3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं करते हैं, लेकिन उक्त विवरणी को सितंबर, 2020 के 30वें दिन तक प्रस्तुत करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के अधीन देय विलंभ फीस को दो सौ पचास रुपये से अधिक अधित्यक्त किया जाता है, और उन करदाताओं के लिए देय विलंभ फीस को पूरी तरह से अधित्यक्त किया जाता है जहाँ कुल देय केन्द्रीय कर कि राशि शून्य है।"।

2912 GI/2020 (1)

2. यह अधिसूचना 25 जून 2020 से प्रभावी हुई समझी जाएगी।

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/08/2020-जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 76/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 31 दिसम्बर, 2018, जो सा.का.िन. 1253(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और जिसका आखिरी बार संशोधन अधिसूचना सं. 52/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 24 जून, 2020 द्वारा किया गया था, जो सा.का.िन. 405(अ), दिनांक 24 जून, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th June, 2020

#### No. 57/2020-Central Tax

**G.S.R. 424(E).**—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with section 148 of the said Act, the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 76/2018–Central Tax, dated the 31<sup>st</sup> December, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1253(E), dated the 31<sup>st</sup> December, 2018, namely:—

In the said notification, after the third proviso, the following provisos shall be inserted, namely: –

"Provided also that for the class of registered persons mentioned in column (2) of the Table of the above proviso, who fail to furnish the returns for the tax period as specified in column (3) of the said Table, according to the condition mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table, but furnishes the said return till the 30<sup>th</sup> day of September, 2020, the total amount of late fee payable under section 47 of the said Act, shall stand waived which is in excess of two hundred and fifty rupees and shall stand fully waived for those taxpayers where the total amount of central tax payable in the said return is nil:

Provided also that for the taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year, who fail to furnish the return in **FORM GSTR-3B** for the months of May, 2020 to July, 2020, by the due date but furnish the said return till the 30<sup>th</sup> day of September, 2020, the total amount of late fee under section 47 of the said Act, shall stand waived which is in excess of two hundred and fifty rupees and shall stand fully waived for those taxpayers where the total amount of central tax payable in the said return is nil."

2. This notification shall be deemed to have come into effect from the 25<sup>th</sup> day of June, 2020.

[F. No. CBEC-20/06/08/2020-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

**Note:** The principal notification No. 76/2018-Central Tax, dated 31<sup>st</sup> December, 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 1253(E), dated the 31<sup>st</sup> December, 2018 and was last amended *vide* notification number 52/2020-Central Tax, dated the 24<sup>th</sup> June, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 405(E), dated the 24<sup>th</sup> June, 2020.